# <u>कार्यालय, अपर श्रम आयुक्त, गौतमबुद्धनगर</u>

## <u>प्रेस नोट</u>

कृपया अवगत कराना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत शासन द्वारा विभिन्न नियोजनों के लिए निर्धारित वर्तमान समय में लागू मजदूरी दरें निम्नवत हैं।

| नियोजन | मजदूरी दरों की अवधि | श्रेणी | मूल मजदूरी | परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता | कुल मासिक मजदूरी | कुल दैनिक मजदूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 नियोजन | दिनांक 01.04. 2024 से 30.09. 2024 | अकुशल | 5750 | 4898 | 10648 | 410 |
| | | अर्द्ध कुशल | 6325 | 5388 | 11713 | 451 |
| | | कुशल | 7085 | 6035 | 13120 | 505 |
| 10 से कम कर्मचारियों वाले होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट | दिनांक 01.04. 2024 से 30.09. 2024 | अकुशल | 6350 | 4278 | 10628 | 409 |
| | | अर्द्ध कुशल | 7000 | 4715 | 11715 | 451 |
| | | कुशल | 7840 | 5281 | 13121 | 505 |
| 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंन्ट | दिनांक 01.04. 2024 से 30.09. 2024 | अकुशल | 6730 | 4534 | 11264 | 433 |
| | | अर्द्ध कुशल | 7420 | 4998 | 12418 | 478 |
| | | कुशल | 8310 | 5598 | 13908 | 535 |
| | | अति कुशल | 8975 | 6046 | 15021 | 578 |
| स्टार होटल | दिनांक 01.04. 2024 से 30.09. 2024 | अकुशल | 7540 | 5079 | 12619 | 485 |
| | | अर्द्ध कुशल | 8980 | 6049 | 15029 | 578 |
| | | कुशल | 10640 | 7168 | 17808 | 685 |
| | | अति कुशल | 12565 | 8464 | 21029 | 809 |
| 50 से 500 कर्मचारियों वाले इन्जीनियरिंग उद्योग | दि0 01.08.2024 से 31.01.2025 तक | अकुशल | 7440 | 5074 | 12514 | 481 |
| | | अर्द्ध कुशल | 8170 | 5572 | 13742 | 529 |
| | | कुशल | 9070 | 6186 | 15256 | 587 |
| 500 से अधिक कर्मचारियों वाले इन्जीनियरिंग उद्योग | दि0 01.08.2024 से 31.01.2025 तक | अकुशल | 7800 | 5320 | 13120 | 505 |
| | | अर्द्ध कुशल | 8580 | 5852 | 14432 | 555 |
| | | कुशल | 9360 | 6384 | 15744 | 606 |
| ईंट भट्ठा में नियोजन | दिनांक 01.04. 2024 से 30.09. 2024 | अकुशल | 5750 | 4898 | 10648 | 410 |
| | | कुशल | 7085 | 6035 | 13120 | 505 |
| | | | पथेरा | भराईवाला – 500 मीटर तक | भराई वाला 500 मीटर से अधिक | निकासी वाला |
| | | प्रति हजार | 676 | 204 | 244 | 204 |

मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई हैं उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम नही होगी तथा प्रति घण्टे की मजदूरी दर दैनिक मजदूरी दर की 1/6 से कम नही होगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 की उपधारा (ए) के अनुसार किसी भी मजदूर/कर्मचारी को उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान किया जाना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अधिकतम छः माह का कारावास या पांच सौ रूपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है तथा साथ ही विहित प्राधिकारी के समक्ष वाद योजित किये जाने पर सम्बन्धित मजदूरों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान की गई बकाया मजदूरी की धनराशि अधिकतम दस गुना क्षतिपूर्ति के साथ सेवायोजक से वसूली कराकर सम्बन्धित मजदूरों/कर्मचारियों को दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(सरजू राम शर्मा)
अपर श्रम आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक – 32527-528/गौ0प्रवर्तन–2024 दिनांक –17 सितम्बर 2024

उपरोक्त की प्रतिलिपि

1. सहायक श्रमायुक्त तथा सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त जानकारी जनपद के लब्धप्रतिष्ठ समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को प्रदान करने हेतु निःशुल्क प्रकाशित/प्रचारित कराने का कष्ट करें।

(सरजू राम शर्मा)
अपर श्रम आयुक्त,
गौतमबुद्धनगर

Scanned with CamScanner